न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

<u>परिवाद संख्या—2478/2019</u>

सोनू यादव बनाम आशीष यादव आदि

<u>10.10.2019</u>

पत्रावली पेश हुयी। तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि उसके गांव के विपक्षीगण आशीष यादव, अंकित यादव व अनिल कुमार द्वारा परिवादी सोनू यादव के साथ घर में घुस कर गाली गलौज करते हुए मार पीट की गयी एवं जान से मारने की धमकी दी गयी व तोड़फोड़ कर क्षति कारित की गयी।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा—200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0—1 अयोध्या प्रसाद एवं पी.डब्लू.—2 कमला सिंह का बयान अंकित कराया है। उक्त साक्षीगण ने परिवादपत्र एवं परिवादी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा दाखिल मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण आशीष यादव, अंकित यादव व अनिल कुमार के विरूद्ध धारा—452, 323 504, 506, 427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण आशीष यादव, अंकित यादव व अनिल कुमार धारा—452, 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आशीष यादव, अंकित यादव व अनिल कुमार को धारा—452, 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दि0 11.11.2019 को पेश हो।

(कुलदीप सिंह—III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।